बिहार सरकार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991

के

तहत गठित 8वीं आयोग

का

प्रथम आवधिक प्रतिवेदन

(PERIODICAL REPORT)

(धारा 6 gके तहत)

2016

بہار ریاستی اقلیتی کمیشن ایکٹ ۱۹۹۱ء

کے تحت

تشکیل شدہ ۸ویں کمیشن کا

اوّل موقتی رپورٹ ۲۰۱۶ء

(دفعہ 6 g کے تحت)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

6, साऊथ बेली रोड, पटना-800001

दो शब्द

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 6 (g) के तहत आयोग को एक आवधिक प्रतिवेदन (**Periodical Report**) देना है। उसी प्रावधान के तहत आयोग का यह आवधिक प्रस्तुत किया जा रहा है।

8वीं आयोग का गठन सरकारी अधिसूचना संख्या 1069 दिनांक 05.08.2015 द्वारा हुआ है तथा दिनांक 07.08.2015 को वर्त्तमान आयोग ने कार्यभार संभाला है। गत छः माह के अनुभव के आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ पूर्व में कई परिपत्र निर्गत किए है जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना नितात आवश्यक है ताकि सबसे अंतिम पायदान पर बैठे अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही वर्त्तमान सरकार की कृतसंकल्पित।

आयोग ने इस अवधि में अपने अनुभवों के आधार पर अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ कुछ नई योजनाएँ आरम्भ करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों को समय–समय पर अनुशंसाएँ भेजी गई है। इन्ही दोनों विषय वस्तु का समावेश वर्त्तमान आयोग के इस प्रथम आवधिक प्रतिवेदन में किया गया है। प्रथम खण्ड में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं के प्रस्ताव शामिल है, वही द्वितीय खण्ड में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ पूर्व से निर्गत परिपत्रों को दृढ़ता से पालन हेतु समावेश किया गया है। आशा है कि यह आवधिक प्रतिवेदन राज्य के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षणिक स्तर में और सुधार में सहायक होगा।

(मो० सलाम) 30.3.16
अध्यक्ष

पटना, दिनांक 30.03.2016

स्वीकृति

अधिनियम 1991 के तहत गठित 8वीं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की दिनांक 30-03-2016 को 5 वीं बैठक में आयोग के अधिनियम 1991 की धारा 6 (g) के तहत आयोग के आवधिक प्रतिवेदन (**Periodical Report**) के प्रारूप को सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान की गई है।

(कुलवंत सिंह सलुजा)
सदस्य

30-3-16
(मो० सलाम)
अध्यक्ष

(मो० अब्दुल्लाह)
सदस्य

(एम्ब्रोस पैट्रिक)
उपाध्यक्ष

(अहमद अली तमन्ने)
सदस्य

(डॉ० दिलीप कुमार सिन्हा)
उपाध्यक्ष

30/3/16
(डॉ० मंसूर अहमद एजाजी)
सदस्य–सचिव

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

विषय–सूची

क्रमांक	खंड	विषय	पृष्ठ
1.	खण्ड–एक	अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ नई योजनाओं का प्रस्ताव	1
2.	खण्ड–दो	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निर्गत परिपत्रों का दृढ़ता से पालन हेतु।	5

खंण्ड – 1

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नई योजनाओं का प्रस्ताव

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नई योजनाओं का प्रस्ताव

1. **अल्पसख्यक विकास मिशनः–** अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु महादलित विकास मिशन के तर्ज पर अल्पसंख्यक विकास मिशन की स्थापना पर विचार किया जाए।

2. **प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्तिः–** जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहुलत हुई है परन्तु प्रखंड स्तर पर कोई पदाधिकारी नही होने के कारण जिला स्तर के एक पदाधिकारी को पूरे जिले के कार्यों की निगरानी में कठिनाई होती है। अतः प्रखंड स्तर पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

3. **वक्फ विकास निगमः–** केंद्र की भांति राज्य स्तर पर एक वक्फ विकास निगम की स्थापना की जाए जो कि केंद्रीय वक्फ विकास निगम तथा वक्फ कांऊसिल से समन्वय स्थापित कर राज्य के वक्फ सम्पत्तियों का विकास, सवर्द्धन एवं जीर्णोद्धार का कार्य करे। इसलिए राज्य में अपना वक्फ विकास निगम की स्थापना की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण योजना तथा मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना की भांति 5 वर्षों तक प्रस्तावित निगम को हिस्सा पूंजी के रूप में 25 करोड़ रूपये सालाना राज्य सरकार उपलब्ध कराए। साथ ही 5 वर्ष तक तकनीकी सहयोग भी दिया जाए यानी राज्य सरकार के अभियंता प्रतिनियुक्ति पर निगम का काम देखें तथा उनका वेतन भुगतान मूल विभाग द्वारा किया जाए। वर्ग 3 तथा 4 के कर्मी की भर्त्ती संविदा पर निगम करे तथा उनका व्यय निगम उठाएगा।निगम वक्फ सम्पति का विकास कर जब तक उसके निर्माण पर हुए व्यय की पूरी राशि वसूल नही हो जाती किराया वसूल करेगा तथा उसका एक हिस्सा संबंधित वक्फ स्टेट/वक्फ बोर्ड को देगा। पूरी राशि वसूल होने पर संपत्ति वक्फ स्टेट/ वक्फ बोर्ड को हस्तातंरित हो जाएगा।

4. **मुस्लिम निःसहाय लड़कियों के लिए शादी की योजनाः–** गरीब अल्पसंख्यक बच्चियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा तिलंगाना की भांति योजना आरम्भ की जाए।

5. **अल्पसख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में अधिकतम उम्र सीमा में SC/ST की भांति छुट देने तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में उन्ही की भांति परीक्षा शुल्क में छुट देने तथा अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतुः–** अल्पसंख्यक को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए तत्काल उन्हे अधिकाधिक लाभ देने के लिए **SC/ST** की भांति अधिकतम उम्र में छूट दिया जाए तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी उन्ही की भांति परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाए।

साथ ही अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करने का भी आदेश दिया जाए।

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की निर्धन तथा निःसहाय कन्याओ की शादी के लिए अनुदान की प्रस्तावित योजना।

i. योजना का नामः– मुख्यमंत्री इंकैपेबुल्स निकाह योजना (**MUKHYAMANTRI INCAPABLES NIKAH YOJNA**) या मुमिन योजना (**MUMIN YOJNA**).

ii. **उद्देश्यः–** अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की निर्धन तथा निःसहाय पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त अनुदान।

iii. **पात्रताः–**

(1) बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हों।

(2) विवाह के समय बालिका 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो। इसकी पुष्टि जन्म प्रमाण–पत्र या शैक्षणिक प्रमाण–पत्र से किया जाएगा।

(3) कुल पारिवारिक आय दो लाख रू० वार्षिक से अधिक न हो। अनाथ कन्या, निराश्रित विधवाओं, अपंगो, असाध्य रोगों से ग्रसित माता/पिता, भूमिहीन एंव दैवीय आपदाओं से ग्रसित परिवारों की पुत्रियों को इसके मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के लिए सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।

(4) शादी की तिथि निर्धारण का प्रमाण शादी का कार्ड या पत्र पंचायत/नगर निकाय के सदस्यों अथवा जिला औकाफ कमिटी के सचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य होगा।

iv. **प्रक्रियाः–**

(1)विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय मे दिया जाएगा। आवेदन माता/पिता/अभिभावक या स्वंय कन्या कर सकती है।

(2)आय/आवासीय प्रमाण पत्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(3)कन्या के नाम के बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ट का फोटो स्टेट संलग्न करना होगा। कन्या का माता/पिता या अभिभावक के साथ स्वः प्रमाणित फोटो लगाना होगा।

(4)यदि किसी अन्य योजना से शादी हेतु अनुदान से लाभांवित हो तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(5)इस योजना का लाभ एक परिवार को पूरे जीवन काल में एक बार मिलेगा।

(6)जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी आवेदन की जांच कर सभी प्रक्रिया पूरी कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन स्वीकृति हेतु निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजेंगे। सरकार की स्वीकृति पश्चात राशि का ऑनलाईन भुगतान बिहार राज्य सुन्नी वक्फ़ बोर्ड/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अथवा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जाएगा।

(7)आवेदन प्राप्त करने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया अनवरत चलेगी तथा ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि राशि का भुगतान शादी की तिथि से एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से हो जाए।

v. **राशिः–** इस योजना के अंर्तगत एक मुश्त 51,000/– रूपये की राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जाएगा ।

vi. उक्त मद का व्यय शीर्ष .....उपशीर्ष .....से विकलनीय होगा।

6. **सहकारिता आंदोलन से अल्पसंख्यकों को जोड़ने हेतु योजनाः–** अल्पसंख्यक समुदाय को सहकारिता आंदोलन से अधिकाधिक जोड़ने हेतु कर्नाटक सरकार ने एक योजना आरम्भ की है जिसके तहत सहकारी समिति एक शेयर या अधिकतम 500/–रूपया का अनुदान की योजना आरम्भ की गई है। यह बहुत ही उपयोगी योजना है। इसे बिहार मे भी लागू किया जाए।

7. उर्दू भाषा के उत्थान तथा विकास हेतु योजना

1. **अल्पसंख्यक भाषाजात आयुक्त की नियुक्तिः–** राष्ट्रीय स्तर पर एक अल्पसंख्यक भाषाजात आयुक्त का पद है जो कि अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास तथा उनकी कठिनाईयो का निराकरण करती है। साथ ही उनके उत्थान हेतु अपनी अनुशंसाएँ भी सरकार को देती है।

   बिहार में भी उसी तर्ज पर एक अल्पसंख्यक भाषाजात आयुक्त का पद सृजित किया जाए।
2. **उर्दू परामर्शदातृ समिति का सुदृढ़ीकरणः–** उर्दू परामर्शदातृ समिति का सुदृढ़ीकरण करते हुए उसी की नियमावली बनाई जाए।
3. **बिहार उर्दू अकादमी का सुदृढ़ीकरणः–** बिहार उर्दू अकादमी में नई नियुक्ति नही होने के कारण कर्मियों के सेवानिवृति पश्चात बहुत से पद खाली है जिसके कारण अकादमी का कार्य सेवानिवृत कर्मियों को अनुबंध पर रख कर लिया जा रहा है। उर्दू अकादमी के सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए।

खंण्ड – 2

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निर्गत परिपत्रों का

दृढ़ता से पालन हेतु।

भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय कमिटी के गठन हेतुः–

आए दिन शिकायत मिलती रहती है कि उर्दू युनिट पर हिंदी तथा हिंदी युनिट पर उर्दू शिक्षक की पदस्थापना कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की अन्य समस्याएँ जैसे नये युनिट की स्वीकृति, शिक्षकों की कमी, पुस्तको की आपूर्त्ति, भवन निर्माण, भवन विस्तार की आवश्यकता, नए स्कूल खोलने की आवश्यकता तथा पठन–पाठन आदि की शिकायते भी प्राप्त होती रहती है।

उक्त तमाम शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यदि एक कमिटी गठित कर दी जाए तो स्थानीय स्तर पर उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जिन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर नहीं होगा उन्हें राज्य स्तर पर निराकरण हेतु भेजा जा सकता है। इस प्रकार राज्य स्तर पर कार्यभार भी कम होगा और जिला स्तर पर समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होने से भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान होगा ही साथ ही वे संतुष्ठ भी होगे और अल्पसख्यकों के बीच एक अच्छा संवाद जाएगा। इस प्रकार की कमिटी का गठन 1978 में किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है परन्तु कालांतर में वह कार्यरत नही है। पत्र निम्नवत हैः–

पत्र संख्या– आर॰/आयोग–1075/77–204/आ॰
बिहार सरकार
गृह विभाग(विशेष शाखा)

———

प्रेषक,

श्री सरयू प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक–17 जून,1978

विषयः– राज्य के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए स्थायी समिति, स्टैडिंग कमिटि का गठन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें आपके जिले के लिए निम्नांकित सदस्य मनोनित किये गये है।

1. जिला पदाधिकारी – पदेन अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी – पदेन सचिव।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक एंव जिला विद्यालय निरीक्षक में से कोई एक जिसका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेगें – पदेन सदस्य।
4. श्री.....पदेन सदस्य
5. श्री.....पदेन सदस्य
6. श्री.....पदेन सदस्य
7. श्री.....पदेन सदस्य

PTO

2 – यह समिति भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों को विभिन्न स्थानीय समस्याओं पर विचार कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देगें। स्थानीय स्तर पर इन सुझावों पर कार्रवाई होने में यदि कोई दिक्कत हो तो समिति द्वारा इसे सराकर के निर्णयार्थ उपस्थापित किया जा सकता है।

3 – समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की सुविधानुसार माह में एक बार अवश्य की जाए तथा बैठक सरकार की कार्यवाही की एक प्रति धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को भेजी जाए।

4 – कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरयू प्रसाद सिहं,
सरकार के उप सचिव

20 –सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को भरपूर एंव सुनिश्चित लाभ

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक 451 दिनांक 19.03.88 द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 20–सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों को यह आदेश दिया गया था कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को भरपुर एंव सुनिश्चित लाभ पहुँचे तथा अल्पसंख्यकों को उन कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली समितियों में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए। उक्त पत्र के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की सूची संलग्न की गई थी जिसमे अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचाना अपेक्षित है, सूची निम्न प्रकार है:–

सदस्यता	:–उपर्युक्त प्रकार की सभी समितियॉ, 20 सूत्री कार्यकम सहित।
आई.आर.डी.पी	:–अल्पसंख्यकों को ऋण दिया जाए।
एन.आर.ई.पी.	:–अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैय्या कराया जाए।
लघु उधोग इकाईयॉ	:–अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन दिया जाए।
भू–वितरण	:–अल्पसंख्यक समुदाय के भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए।
समस्याग्रस्त ग्राम	:–अल्पसंख्यक ग्रामों में पीने का पानी मुहैय्या कराया जाए।
स्वास्थ्य सुविधा	:–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एच. एस.सी. ऐसे अल्पसंख्यक ग्रामों में खोले जाएँ।
प्राथमिक शिक्षा	:– अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का दाखिला लिया जाए तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय।
प्रौढ़ शिक्षा	:–अल्पसंख्यक समुदाय में प्रौढ़ व्यक्तियों का दाखिला लिया जाय तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए।
गृह–सुविधा	:–अल्पसंख्यकों को गृह एवं गृह स्थल उपलब्ध कराया जाय और घर बनाने हेतु सहायता प्रदान किया जाय।
झुग्गी–झोपड़ी बस्ती	:–अल्पसंख्यक समुदाय की झुग्गी–झोपड़ीयों के पर्यावरण में सुधार लाया जाए।
जन–वितरण प्रणाली	:– अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अनुज्ञप्तियॉ निर्गत की जाएँ और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में दुकानें खोली जाएँ।
विधुतीकरण	:– अल्पसंख्यक ग्रामों का विधुतीकरण किया जाए जिसका चयन उक्त समुदाय के लोगों द्वारा किया गया हो। उन्नत चूल्हा और बायोगैस संयत्र स्थापित किया जाए।
हितैषी पदाधिकारी	:–पदाधिकारियों को विशेष आदेश दिया जाए। दैनिक कार्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाय और उन्हें सहुलियत मुहैय्या करायी जाए।

उक्त आदेश को पुनर्जीवित कर एंव विभाग ने अपने पत्रांक 562/28.08.97 द्वारा एक नवीन पत्र लिख कर उपर्युक्त आदेश का पालन का निदेश दिया।

उक्त आदेश का पालन नई योजनाओं का समावेश कराने से अल्पसंख्यकों को और अधिक लाभ पहुँचाने में कारगार हो सकता है।

पत्रांक–457
बिहार सरकार
20–सूत्री कार्यक्रम विभाग।

प्रेषक,

श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

पटना, 19.03.1988

बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभाग।

विषयः अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15–सूत्रीं सुझाव।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री सुझाव के सूत्र संख्या 13 (प्रति संलग्न) के अनुसार अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम अंतर्गत अल्पसंख्यको को मुख्य रूप से जिस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है उसकी सूची संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधीनस्थ पदाधिकारियों को इनके दृढतापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश जारी करने की कृपया व्यवस्था करेगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

पत्रांकः का. का. (विविध) 04/97/562

सेवा में,

20–सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी
आयुक्त एंव सचिव/विभागाध्यक्ष।

दिनांक 28.08.1997

विषयः–अल्पंसख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंर्तगत लाभान्वित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे निदेशानुसार कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मई 1983 में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की धोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम को पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा अगस्त 1985 में रेखांकित किया गया । इस कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13 में अंकित है कि 20–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रम में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को उनके लाभ उचित और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो तथा ऐसे कार्यक्रमों को इस विभाग के पत्रांक 451 दिनांक 19.3.1988 (प्रतिलिपि पुनः सलग्न) के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि 20–सूत्री कार्यक्रम के अर्तगत अल्पसंख्यको को मुख्य रूप से किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है तथा यह भी अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसके दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश निर्गत किया जाय। इसी क्रम में राज्य अलपसंख्यक आयोग से प्राप्त पत्रांक 7665/दिनांक 18.06.97 की एक प्रति भी संलग्न की जा रही है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अंकित किया गया है कि इस विभाग के उपरोक्त आदेश का अनुपालन क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में रोष एंव बैचनी है।

2– विषय की समीक्षा हेतु इस विभाग के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस बैठक मे विचार विमर्श हेतु कृपया सूचित किया जाए कि पिछले 5 वर्षों में आपके विभाग द्वारा कार्यान्वयन की जा रही विकास योजनाओं से अल्पसंख्यकों को कितना लाभ पहुंचाया गया तथा इन कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए गठित समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का प्रवधान किया गया है अथवा नही। कृपया इस विभाग के उपर्युक्त आदेश के आलोक में आपके विभाग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यदि कोई आदेश निर्गत किया गया हो तो उसकी प्रति भेजी जाए तथा उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु यदि कोई समिति गठित की गई हो, तो उनके गठन से संबंधित अधिसूचना/ संकल्प की एक प्रति भी भिजवाई जाए।

3– कृपया इसे प्राथमिकता देते हुए वांछित सूचना दिनांक 10.09.97 तक इस विभाग को भिजवाने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अनु0–यथावर्णित।

ह0/–
(पी 0 पी 0 शर्मा)
सरकार के सचिव

विभिन्न सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के सर्वागीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप धन राशि "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम" के तहत कर्णाकित करने हेतु।

मंत्रिमंडल सचिवालय संकल्प संख्या 05/2010–1717 दिनांक 15.09.2010 के आलोक में सुशासन के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रम की कंडिका '4' के अनुसार (प्रति संलग्न) "अल्पसंख्यकों के सर्वागीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धन राशि 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के रूप में कर्णाकित करने का प्रावधान है।

किसी कारणवश उक्त कंडिका का पूरी तरह अनुपालन नही हो पाया है। अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर योजना एवं विकास विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर (प्रति संलग्न) उसे लागू करने का आदेश दिया है। मगर विधान सभा चुनाव आ जाने के कारण सभी विभागो में इसका अनुपालन नही हो पाया है। यह एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। वर्ष 2016–17 का बजट प्रकियाधीन है।

वर्ष 2016–17 के बजट में सभी विभागों के बजट में अनुसूचित जाति की भांति अल्पसंख्यकों के लिए भी "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम" की राशि कर्णाकित करना सुनिश्चित किया जाए।

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1932 (शo)
(सं० पटना 782) पटना, वृहस्पतिवार 16 दिसम्बर 2010

सं० 5/मं०मं०स०(ज०शि०) विविध–05/2010–1717
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प
15 दिसम्बर 2010

विषय :– 2010 निर्वाचन के पश्चात् दिनांक 26 नवम्बर 2010 को गठित सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (2010–2015) के अंतर्गत सुशासन के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।

वर्ष 2010 के विधान सभा निर्वाचन एवं नई सरकार के गठन के पश्चात् न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत "न्याय के साथ विकास" के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 05 वर्ष (2010–15) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सुशासन के कार्यक्रम (2010–15) को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है:–

(क) जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के समक्ष उक्त समिति की बैठक में रखेंगे।

(ग) मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रूप से इन कार्यक्रमों के संबंध में बैठक करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे।

राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब कारवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य स्तर से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम (2010–15) संलग्न है।

अल्पसंख्यक कल्याण

1. राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।
2. राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी।
3. अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा।
4. अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धन राशि "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" के रूप में कर्णांकित की जाएगी।
5. उर्दू पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
6. बुनकरों के कल्याणार्थ हर बड़ी बुनकर आबादी में एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा जहाँ ऋण और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।
7. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ किया जाएगा तथा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
8. सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया जाएगा।
9. मदरसा शिक्षा की उच्चतर गुणवत्ता हेतु इसे आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
10. मदरसा शिक्षा के नये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी और आधारभत संरचनाओं को सदढ करने के लिए प्रभावी
11. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बंगला भाषी विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बंगला भाषी शिक्षकों का पदस्थापन करने का प्रयास किया जाएगा।
12. "तालिमी मरकज", "हुनर" और "औजार" जैसे कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल विकास प्रदत्त करने के लिए चलाये जा रहे हैं, का विस्तार किया जाएगा।
13. मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को जमीन और भवन की सुविधा प्रदान कर इसकी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।
14. राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के लिए मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त कर अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
15. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिहार शाखा को शीघ्र चालू कराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
16. बीड़ी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उन्हें ऋण और आवास निर्माण की सहायता प्रदान की जाएगी।
17. बिहार राज्य धुनिया, संगरेज, दरजी, कोऑपरेटिव फेडरेशन को सुदृढ बनाकर इन पेशों से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
18. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से सरकारी सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु आवश्यक अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र देने हेतु नियमावली बनायी जाएगी तथा यह कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा ।
19. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं अपना कारोबार आरंभ करने के लिए "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" तथा अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ की जाएगी ।
20. अल्पसंख्यक छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ध्वनिरहित जेनरेटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा ताकि छात्र आधुनिक परिवेश में पढ़ाई कर सकें। इन छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक अल्पसंख्यक छात्रवास के परिसर में ही छात्रावास अधीक्षक के आवास का निर्माण किया जाएगा । अल्पसंख्यक छात्रावासों के मरम्मत एवं रख–रखाव तथा आवर्ती व्यय के लिए विभागीय बजट से राशि आवंटित की जाएगी तथा छात्रावासों की देखभाल हेतु आवश्यक पद सृजित किये जाएंगे ।
21. बिहार राज्य हज समिति का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाएगा ताकि हज समिति के माध्यम से हाजियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायीं जा सकें।
22. परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए चलायी जा रही सहायता योजना को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लाभान्वित महिलाएँ प्राप्त राशि से स्वरोजगार कर सकें।
23. सूफी परम्परा से जुड़े स्थलों और अल्पसंख्यक समुदाय के पुस्तकालयों के रख–रखाव और सुदृढीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

नियोजनालयों में अल्पसंख्यको के लिए विशेष प्रक्रिया के संबंध में

निदेशक श्रम संसाधन विकास विभाग ने अपने पत्रांक 164 दिनांक 18.01.1986, पत्रांक 1439, दिनांक 18.05.1985, पत्रांक 2178, दिनांक 19.07.1985 एंव पत्रांक 2177, दिनांक 21.07.1985 द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिया गया था कि (i) अल्पसंख्यक समुदाय का निबंधन पहले की भांति किया जाएगा, परन्तु अलग से एक पंजी एक्स 63 संघारित होगी जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों की निबंधन संख्या नाम आदि मूल रूप से निबंधन पंजी में देखकर अंकित किया जाएगा। साथ ही साथ अल्पसख्यक समुदाय के आवेदक जो जीवित पंजी पर है, उनकी निबंधन संख्या एक्स 63 पंजी से उतारकर दूसरे पंजी में रखा जाए। ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय में कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध है। पंजी 64 (जीवित पंजी) में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक कॉलम जोड़ी जाय (ii) अल्पसंख्यकों के आवेदनों को नियोजनालयों में निबंधन एंव उनका नाम नियोजको को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाए। (iii) जिला नियोजन पदाधिकारी मोतिहारी, बेतिया, लहेरीयासराय, एंव पूर्णिया में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता है। वहॉ उनके निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाए। जिस क्षेत्र में अभियान चलाना हो, उस क्षेत्र में मुखिया को एक पत्र लिखकर सूचना दे ताकि मुखिया अल्पसंख्यकों के बीच इसका प्रचार कर सके और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिए जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें ताकि निर्धारित तिथि को आवेदक निबंधन के लिए उपलब्ध हो सकें।

जिला नियोजन पदाधिकारी मोतिहारी, बेतिया, लहेरीयासराय एवं पूर्णिया को यह भी निदेश दिया गया था कि अपने नियोजनालय में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए अलग शाखा खोलने की व्यवस्था करे जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालय में महिला शाखा कार्यरत है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक शाखा भी कार्य करेगा, इस समुदाय के लिए अलग से निबंधन नवीकरण एवं जीवित पंजी का पोषण होगा।

उपर्युक्त आदेश आज भी प्रसांगिक है। इन्हें कड़ाई से लागू करने पर अल्पसंख्यक बेरोजगारों को निश्चित रूप से लाभ पहुॅचेगा। पुराने चम्पारण दरंभगा एवं पूर्णिया जिला बदल कर नए जिले बनाये गये। इसलिए बदली परिस्थिति में पंजी को यथा संशोधित करने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार
श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
– – –

ज्ञांप संख्या – ई0 4003/85–164 पटना, दिनांक 18.01.1986

सेवा में,

सभी प्रभारी नियोजन पदाधिकारी, बिहार

विषयः– **नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के निबंधन के संबध में।**

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निर्देशों के कार्यान्वयन के संबध में दिल्ली में हुई एक बैठक में लिए गये निर्णयों के उपरान्त राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में पड़ने वाले नियोजनालयों एंव ऐसे नियोजनालयों जिनके क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय का जमाव है जिसे इस निदेशालय के पत्र संख्या 2177, दिनांक 19.07.1985 के द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से किया जाए और उनके लिए निबंधन पंजी, नवीकरण एंव जीवित पंजी का पोषण भी अलग से किया जाए।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ एक बैठक राज्य श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.10.1985 को हुई थी। बैठक में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के अलग से निबंधन करने के प्रश्न पर विचार किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से करने तथा उनकी जीवित पंजी अलग से पोषण करने में उक्त समुदाय के आवेदकों को सम्प्रेषण के मामले में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेंगा बल्कि सम्प्रेषण में उनके नाम आदि छूट जाने का भय बना रहेगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय का निबंधन पहले की भांति किया जाऐगा। परन्तु अलग से एक निबंधन पंजी एक्स–63 का पोषण होगा जिसमें उक्त समुदाय के आवेदकों का निबंधन संख्या, नाम आदि मूल निबंधन पंजी से देखकर अंकित कर दिया जायेगा। ऐसे आवेदकों का निबंधन कार्ड एक्स – 11 की फाईलिंग नियमानुसार पूर्व की भॉति ही की जाऐगी ताकि सम्प्रेषण में वरीयता के आधार पर इनके नामों का सम्प्रेषण हो सके। अतः निदेशालय नियोजन के पत्र संख्या–2177 दिनांक 19.07.1985 में निहित अनुदेशों को रद्द करते हुए पुनः आदेश दिया जाता है कि निबंधन की यह प्रक्रिया राज्य के सभी नियोजनालयों द्वारा अपनाई जाऐगी और यह अनुदेश 01.01.1986 से राज्य के सभी नियोजनालयों में लागू किया जाऐगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक्स – 64 (रिक्त) पंजी में एक ओर स्तम्भ जोड़ दिया जाए जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सम्प्रेषित आवेदकों की संख्या अलग से अंकित किया जा सके। अतः इस प्रक्रिया को भी लागू करने का निदेश दिया जाता है।

पूर्व में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक जो जीवित पंजी पर है, उनकी निबंधन संख्या आदि एक्स–63 पंजी से उतार कर दूसरी एक्स 63 पंजी में रखा जाय ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय के कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध है।

ह0:– अस्पष्ट
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,
पटना।

पत्र संख्या–ई0–4003/85–1439
बिहार सरकार
श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन
बिहार, पटना–15
– – –

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
निदेशक, नियोजन एंव प्रशिक्षण, बिहार , पटना।

सेवा में,

1. बिहार के सभी प्रभारी नियोजन पदाधिकारी।
2. सभी उप मुख्य, विश्वविद्यालय नियोजन एंव मार्गदर्शन केंद्र, बिहार

पटना, दिनांक 18मई,85

विषयः– अल्पसंख्यक के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन निबंधन आदि में भेदभाव नही करने के संबंध में।

महाशय,

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में 29.01.1985 को गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री आर0 के0 सईद की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में उपरोक्त विषय पर विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि महानिदेशालय नियोजन एंव प्रशिक्षण डी0 जी0 ई0 टी0 द्वारा अल्पसंख्यकों के आवेदकों को नियोजनालयों में निबंधन एंव उनके नाम नियोजकों को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में जो अनुदेश निर्गत किया गया है उसे कठोरता से पालन किया जाए।

अतः निदेश दिया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एंव रिक्तियों के विरूद्ध सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नही बरता जाए ताकि प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निर्देशों का कार्यान्वयन भलि–भाति हो सके।

विश्वासभाजन

ह0:– शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,
पटना।

पत्र संख्या–ई0–4003/85–2178
बिहार सरकार

श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभग बिहार।

– – –

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
निदेशक, नियोजन एंव प्रशिक्षण, बिहार , पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक नियोजन,
अवर प्रादेशिक नियोजनालय,
बोकारो स्टील सीटी, धनबाद/रॉची, जमशेदपुर/दुमका।
जिला नियोजन पदाधिकारी,
मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया।

पटना, दिनांक 19जुलाई,85

विषयः– अल्पसंख्यक के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाकर निबंधन करने के संबंध में।

महाशय,

इस निदेशालय के पत्र संख्या – ई0–4003/85–1439, दिनांक 18.05.85 की और आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निबंधन एंव सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नही बरती जाए। हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उक्त विषय पर विचार विमशोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्यों में जहॉ अल्पसंख्यक का जमाव है, वहॉ विशेष अभियान चलाकर उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन अधिक संख्या में किया जाए ताकि नियोजनालय की जीवित पंजी पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पूरा हो।

अतः प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यदिशा के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनालय के क्षेत्र में जहॉ अल्पंसख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहॉ जाकर उनके निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाए ताकि अधिक से अधिक उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाए।

जिस क्षेत्र में निबंधन अभियान चलाना हो उस क्षेत्र के मुखिया को पहले एक पत्र लिख कर सूचना दे दें ताकि मुखिया अल्पसंख्यको के बीच इसका प्रचार कर सके और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिए जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें जिससे कि निर्धारित तिथि को आवेदक निबंधन के लिए उपलब्ध हो सके। अल्पसंख्यक समुदाय मे मुस्लिम, सिख एंव क्रिश्चयन आते है।

कृपया इसे आवश्यक समझें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से मुझे अवगत करायें।

विश्वासभाजन

ह0:– शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,

पत्र संख्या–ई0–4003/85–2177
बिहार सरकार
श्रम नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
निदेशक, नियोजन एंव प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक (नियोजन)
अवर प्रादेशिक नियोजनालय,
बोकारो स्टील सिटी/धनबाद/रॉची/दुमका/जमशेदपुर।
जिला नियोजन पदाधिकारी,
मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया

पटना, दिनांक 19 जुलाई, 85

विषयः–अल्पसंख्यको के कल्याण के सबंधं में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन नियोजनालयों में अलग शाखा खोलने के संबंध में।

महाशय,

कृपया इस निदेशालय के पत्र संख्या –4003/85–1439, दिनांक 18.05.85 का निदेश करे जिसमें यह अनुदेश दिया गया है कि अल्पंसख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एंव सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नही बरता जाए। हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गयी थी जिसमें अल्पंसख्यकों के कल्याण से संबंधित विषय पर विचार विमर्श हुआ। विचारोपरान्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के ऐसे क्षेत्र जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहॉ उनके लिए एक अवर नियोजनालय खोलने पर राज्य सरकार विचार करें ताकि उन समुदाय के व्यक्तियों के नियोजन के मामले पर दृढ़ता से कर्रवाई हो सके। महानिदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त इस सुझाव को राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जॉचने पर यह महसूस किया गया कि अलग से अवर नियोजनालय खोलने के प्रस्ताव में सरकार सहमत नही होगी फिर भी प्रधानमंत्री के 15 सूत्री निदेशों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए औद्योगिक क्षेत्र एंव जन्म क्षेत्रों में जहॉ ऐसे व्यक्तियों का जमाव है कि नियोजनालयों में अलग से इनके लिए एक शाखा खोला जाए।

2–अतः इस संदर्भ में यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनालय में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए एक अलग से शाखा खोलने की व्यवस्था करें। जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालयों में महिला शाखा कार्यरत है उसी प्रकार अल्पसंख्यक शाखा भी कार्य करेगा। इन समुदायों के लिए अलग से निबंधन नवीकरण एंव जीवित पंजी का पोषण करना है। पूर्व से जीवित पंजी पर उपलब्ध उक्त समुदाय के व्यक्तियों का एक्स–1 कार्ड अल्पसंख्यक शाखा की जीवित पंजी में लाया जाएगा और नियोजनालय में रिक्तियों की प्राप्ति पर इनकी जीवित पंजी से भी सम्प्रेषण की कार्रवाई की जाए ताकि सम्प्रेषण में इनका उचित प्रतिनिधित्व रहें। इस शाखा का कार्य वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों के द्वारा ही चलाया जाएगा। अल्पंसख्यक समुदाय शाखा खोलने के पूर्व नियोजनालय में एक अलग काउन्टर की व्यवस्था कर ली जाए एवं इससे संबंधित एक सूचना पट भी लगा दी जाए।यह आदेश दिनांक 01.08.85 से लागू किया जाए और इसकी सूचना इस निदेशालय को भी दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0:– शिव प्रिय
निदेशक

सरकार की विभिन्न योजनाओ में अल्पसंख्यको की सुनिश्चित भागीदारी हेतु यू०पी० के तर्ज पर प्रावधान।

मुख्य सचिव के पत्रांक 991 दिनांक 23.11.2000 द्वारा भी सभी जिला पदाधिकारियों/उप–विकास आयुक्तों को यह आदेश दिया गया था कि 20–सूत्री कार्यक्रम एंव अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यको को पहुँचाए जा रहे लाभों एंव कार्यक्रमो से संबन्धित एक माहवारी प्रतिवेदन प्रत्येक माह ठीक उसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देंगे जैसा कि अनुसूचित जाति/जन–जाति महिलाओं के संबंध में दिया जाता है।

प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन अनुश्रवण के संबंध में जो व्यवस्था अपनाई जा रही है, वही अल्पसंख्यको के कल्याण से संबंधित योजनाओ के कार्यान्वयन/अनुश्रवण के संबंध में अपनाई जाएगी। (प्रति संलग्न)

उत्तर प्रदेश के अनुरूप सभी विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में अल्पसंख्यको के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। साथ ही प्रतिवेदन देने के लिए प्रपत्र भी निर्गत किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा निर्गत परिपत्र निम्नवत हैः–

संख्या–1533/ 52–3–2013–सा(30)/13

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/गन्ना विकास/लघु सिंचाई/उद्यान
पशुपालन/मत्स्य विकास/कृषि विपणन/ग्राम्य विकास/
पंचायती राज/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/
लोक निर्माण/सिंचाई/ऊर्जा/लघु उद्योग/
खादी ग्रामोद्योग/रेशम विकास/पर्यटन/बेसिक
शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/युवा कल्याण/
नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन/पिछड़ा वर्ग कल्याण/व्यावसायिक
शिक्षा/समाज कल्याण/विकलांग कल्याण/महिला कल्याण/
दुग्ध विकास/समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2013

विषयः–प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अन्य वर्गों के समानान्तर इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनमें शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक विकास की दृष्टि से विभिन्न आयोगों द्वारा विचार किया गया है तथा अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि उन्हें भी समाज के अन्य वर्गों की भांति अवसर उपलब्ध कराते हुये सभी प्रकार की सुविधायें इस प्रकार सुलभ करायीं जायें कि इन समुदायो को भी पिछड़ेपन से मुक्त करते हुये समाज के अन्य वर्गों की बराबरी पर लाया जा सके।

2. वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात 19.33 प्रतिशत पाया गया। विभिन्न अध्ययनों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम मात्रा में ही मिल पा रहा है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुये उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को निम्नवत् 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

<u>श्रेणी 1:-</u> मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएं जो शासन द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित की जाती हैं जैसे-हाईवे, ओवर ब्रिज, नहरें, सड़कें, पावर जनरेशन (विद्युत उत्पादन) आदि। इनमें समुदाय विशेष हेतु मात्राकरण किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ये योजनाएं व्यापक रूप से समस्त जनसंख्या को लाभान्वित करती हैं।

<u>श्रेणी 2:-</u> योजनाएं जो क्षेत्रीय विकास के लिए बनाई जाती हैं जैसे-विश्वविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि योजनाएं भी क्षेत्र विशेष में समस्त समुदायों/जनसंख्या को समान रूप से लाभान्वित करती हैं। ऐसी योजनाओं में समुदाय विशेष हेतु मात्राकरण करने की न तो आवश्यकता है और न ही औचित्य।

<u>श्रेणी 3:-</u> इसी प्रकार जिन योजनाओं के द्वारा समस्त जनसंख्या को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है, जैसे-नियमित टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना आदि, ऐसी योजनाओं का भी मात्राकरण किया जाना आवश्यक न होगा।

<u>श्रेणी 4:-</u> स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ऐसी योजनाएं, जो किसी विशेष आबादी क्षेत्र/वार्ड/ग्राम/ बसावट को लाभान्वित करती हैं, में समुदाय विशेष की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्यों का मात्राकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं मे हैण्डपम्प की स्थापना, आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, ए.एन.एम. सबसेन्टर का निर्माण, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व अन्य ग्रामीण अवस्थापनाओं के निर्माण आदि शामिल हैं। इस हेतु यह मानक बनाया गया है कि मात्राकृत अंश से योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की जाए जहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत हो।

श्रेणी 5:– व्यक्तिगत व लाभार्थीपरक योजनाएं जिनमें योजना के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ अथवा विकास का कोई अवसर प्रदान किया जाता है, उदाहरणार्थ विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाएं, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए आवास योजनाएं, कन्या विद्या धन, निःशुल्क बोरिंग आदि। इस प्रकार की योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु लक्ष्यों का मात्राकरण किये जाने का औचित्य है तथा इससे वंचित समुदाय को योजना का न्यायोचित लाभ पहुँचाया जायेगा।

(2) प्रदेश सरकार के निम्नांकित विभागों द्वारा संचालित निम्नलिखित विकास योजनाएं जो श्रेणी 4 एवं 5 के अन्तर्गत आती हैं, में अल्पसंख्यक समुदायों हेतु लक्ष्यों का मात्राकरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

क0	विभाग का नाम	योजनाएं/कार्यक्रम	
1.	कृषि	1.	आईसोपॉम (ISOPOM) योजना
		2.	प्रमाणित बीजों पर अनुदान
		3.	संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना।
		4.	संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना
		5.	विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण
		6.	मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण
		7.	भूमि सेना योजना
		8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2.	गन्ना विकास	1.	ग्रामीण मार्गों का निर्माण।
		2.	उन्नत गन्ना बीज का वितरण।
3.	लघु सिंचाई	1.	निःशुल्क बोरिंग।
		2.	गहरे नलकूप हेतु अनुदान।
		3.	बोरिंग/पम्पिंग सेट हेतु अनुदान।
4.	उद्यान	1.	सूक्ष्म सिंचाई।
		2	राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन।
		3.	पान की खेती।
		4	ढाबा/फास्ट फूड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण।
		5	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।
		6	राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना
		7	फल पट्टी योजना
		8	हरबल गार्डेन योजना
		9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम

5.	पशुपालन	1.	पैरावेट स्कीम।
		2.	गाय एवं भैंस में कृतिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
		3.	पशुपालकों की प्रशिक्षण योजना।
6	मत्स्य विकास	1.	मोबाइल फिश पार्लर।
7.	कृषि विपणन	1.	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मण्डी शेड (Agricultural marketing hub) का विकास।
		2.	मण्डी शेड (Agricultural marketing hub) में निर्मित दुकानों एवं चबूतरो का आवंटन।
		3	मण्डी परिषद के निधि से निर्मित मण्डी एव उप मण्डियों में स्थित दुकानों एवं चबूतरों की प्रकिया
		4	मण्डी परिषद निधि से संचालित मा0 ज्ञानेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन
8.	ग्राम्य विकास	1.	स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना।
		2.	अंबेडकर विशेष रोजगार योजना।
		3.	ग्रामीण पेयजल योजनाएं।
		4.	हैण्डपम्प।
		5.	इंदिरा आवास योजना।
		6.	लोहिया ग्रामीण आवास योजना।
9	पंचायती राज	1.	पंचायत भवन का निर्माण।
		2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।
		3.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)।
10	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
		2	ए0एन0एम0 सेण्टर।
		3	अरबन हेल्थ पोस्ट।
11	लोकनिर्माण		ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण।
12	सिंचाई		डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना।
13	ऊर्जा		निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।
14	लघु उद्योग	1.	कारीगरों को विपणन हेतु सहायता।
		2.	कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्क शॉप।
		3	महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
15	खादी ग्रामोद्योग	1	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना।
		2	कौशल सुधार योजना
16	रेशम विकास	1	जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना।
		2	कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत बेनीफशयरी इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम तथा लाभार्थीपरक अनुदान सहायतित सूक्ष्म योजनायें।
		3	कैटेलिटी विकास योजना(सी0डी0ई0)

17	पर्यटन		कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
18	बेसिक शिक्षा		कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना छात्राओं का नामांकन।
19	माध्यमिक शिक्षा	1	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण।
		2	माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. (ICT) कार्यक्रम।
		3	असेवित न्याय पंचायत में कन्या विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थाओं को अनुदान।
		4	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (नये विद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण, मॉडल स्कूलों की स्थापना/ निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण)
20	उच्च शिक्षा	1	नये उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना/निर्माण।
		2	वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण।
		3	असेवित क्षेत्रों में निजी महाविद्यालयों की स्थापना।
		4	36 मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
21	युवा कल्याण		पंचायत युवा कीडा और खेल अभियान के तहत पी0ए0 आई0सी0सी0ए0 केन्द्र की स्थापना।
22	नगर विकास	1	शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनाएं :
		2	यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 (UIDSSMT) योजना।
		3	नया सवेरा नगर विकास योजना
23	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	1	स्वर्णजयती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम--कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (ऋण/ अनुदान), शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम(आवर्ती निधि), शहरी मजदूरी कार्यक्रम।
		2	आसरा योजना।
		3	रिक्शा योजना।
		4	शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवायें।
24	पिछड़ावर्ग कल्याण	1	बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान।
		2	व्यावसायिक प्रशिक्षण।
25	व्यावसायिक शिक्षा	1	असेवित विकास खण्डों में आई.टी.आई. का निर्माण/ स्थापना।
		2	कौशल विकास मिशन।
26	समाज कल्याण		रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना।

27	विकलांग कल्याण	1	नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन)
		2	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण योजना
28	महिला कल्याण		निराश्रित महिलाओं के लिए भरण पोषण अनुदान।
29.	दुग्ध विकास	1	कृषकों का प्रशिक्षण
		2	दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढीकरण पुनर्जीविकरण का विस्तार एव विस्तार योजना
		3	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना
		4	सघन मिनी डेरी परियोजना
		5	नेशनल मिशन फार प्रोटी सप्लीमेण्ट (एन0एम0पी0एस0)
30	समग्र ग्राम विकास	1.	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।

(3) अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रथम प्रयास के रूप में प्रदेश में उपर्युक्त तालिका में चिन्हित विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का मात्राकरण किया जायेगा। इस हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) स्थानीय विकास हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं (उपरोक्त श्रेणी 4 से आच्छादित), जिनमें स्थानीय आबादी के लिए अवस्थापना का विकास किया जाता है, में कुल वित्तीय परिव्यय का कम से कम 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु व्यय किया जायेगा। तदोपरान्त इस लक्ष्य को जहाँ अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत या इससे अधिक हो, में तदनुरूप लक्ष्य प्राप्ति के लिये संबंधित जनपदवार मात्राकृत किया जायेगा। प्रयास यह किया जायेगा कि सर्वप्रथम वह क्षेत्र चिन्हित किया जाय जहाँ पर अल्पसख्यक समुदाय की आबादी का अनुपात अधिकतम हो।

(ख) विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी परक परियोजनाओं (उपरोक्त श्रेणी 5 से आच्छादित) में कुल भौतिक लक्ष्य का कम से कम 20 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रदेश स्तर पर मात्राकृत किया जायेगा। तत्क्रम में इस लक्ष्य को जिलेवार अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग मात्राकृत किया जायेगा, जिससे लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक लाभार्थी लाभान्वित हो सकें।

(ग) किसी योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न हो पाने की स्थिति में अल्पसंख्यकों का अवशेष लक्ष्य अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा किन्तु इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) संबंधित विभाग जिसमें प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना संचालित की जा रही है वह इस कार्यक्रम/योजना हेतु नोडल विभाग होगा तथा अपने विभाग से संबंधित योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्रों में यथावश्यकता आवश्यक संशोधन करके उसपर जिलों से सूचना प्राप्त करके समीक्षा करेगा।

(5) कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी योजना के मानदण्डों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें किसी छूट की परिकल्पना नही की गयी है। ये योजनायें कार्यक्रम में शामिल मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।

(6) योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जो निम्नवत् है :-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
संबंधित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी	सदस्य
परियोजना निदेशक (डी0आर0डी0ए0)	सदस्य
मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के दो व्यक्ति	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

(7) योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, कियान्वयन एवं मानक अनुसार सन्तृप्तीकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी होंगे। विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी जनपद स्तर पर गठित कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। योजना के निर्माण, संचालन, कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अन्य विभागों के अधिकारी भी जिन्हें समिति कोई भी दायित्व सौपें, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(8) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मासिक प्रगति आख्या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(9) कार्यक्रम में शामिल योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभाग भौतिक लक्ष्यों तथा वित्तीय व्यय के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे तथा इसकी

देख रेख करेंगे। संबंधित विभाग इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन योजनाओं के संबंध में मासिक आधार पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के 15वें दिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(10) प्रस्तावित योजनाओं के कियान्वयन के संबंध में शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत् गठित की जाती है, जो प्रत्येक त्रैमास योजना की समीक्षा करेगी :–

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
योजनाओं से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के दो प्रतिनिधि	सदस्य
सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	सदस्य/सचिव

(11) योजना में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से योजना के कियान्वयन में निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

(क) राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त वेबसाइट हिन्दी एवं उर्दू भाषा में अपलोड की जायेगी।

(ख) लाभार्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय ही उसको पंजीकरण संख्या आवंटित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) प्राप्त आवेदन पत्रों की निश्चित समयावधि के भीतर जांच/ सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) लाभार्थियों की सूची को समाचार पत्रों एवं वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि यदि किसी लाभार्थी को कोई शिकायत है तो शिकायत कर्ता उसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करा सकें।

(च) शिकायतों का संज्ञान लेते हुये जांचोपरान्त शिकायत का 15 दिनों में निराकरण किया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी देनी होगी।

(छ) शिक्षा, आवास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों का प्रतिशत अनिवार्य रूप से 30 प्रतिशत रखा जायेगा।

(ज) जनपद स्तर पर गठित समिति में मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की होगी और यह आख्या सीधे शासन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

(झ) योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार केवल कम्प्यूटर, दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि जगह–जगह सार्वजनिक केन्द्रों (स्कूल, अस्पताल, तहसील, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डो) पर आकर्षक एवं गुणवत्तापरक पोस्टर तथा हैण्डबिल के माध्यम से भी किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(ट) योजना में पारदर्शिता लाये जाने हेतु यह भी व्यवस्था की जायेगी कि यदि किसी लाभार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, तो एक सप्ताह के अन्दर उस लाभार्थी को निरस्तीकरण के कारण की लिखित सूचना दी जाय, जिसकी एक प्रति शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव सहित प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त योजना का कियान्वयन सभी संबंधित विभाग प्रस्तर–2(2) में उल्लिखित योजनाओं पर यथावत लागू करेगें, उन्हें इनके कियान्वयन के संबंध में मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. योजना के कियान्वयन में भविष्य में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण, योजना में किसी प्रकार संशोधन की आवश्यकता अनुभव होने एवं किसी विभाग की कोई अन्य योजना जो इस योजना के परिधि में आती है, को सम्मिलित करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या–1533(1)/52–03–13–तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त योजना से कियान्वयन के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव

साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने हेतु प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर स्थाई समिति का गठन

गृह विभाग के पत्रांक 4042 दिनांक 18.07.1970 द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद की उपसमिति की अनुशंसा के आलोक में प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर एक स्थाई समिति गठित करने का आदेश दिया था जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्न करना है तथा ऐसी बातों का पता लगाना है जिसके कारण साम्प्रदायिक सौहार्द भंग होने का खतरा हो तथा उक्त तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास तथा प्रशासन को मदद करना है।

N0 A/CP – 1014/68-14042C

GOVERNMENT OF BIHAR

Political (Special) Department

From,

Shri S.D. Prasad,
Under Secretry to Government.

Patna, the 18th july,1970

To,

All District Officers.

Subject:- **Recommendation of the Sub-Committee of the National Integration Council on Communalism about the Constitution of standing committees to deal with the group tension-**

Sir,

I am directed to enclose a copy of the summary record of the proceedings of the second meeting of the Sub-committee of the National Integration Council on communalism held on 22nd May, 1969 in New Delhi and to say that it would appear from Proceeding that the member of the said committee laid emphasis among other points on the constitution of standing committees to deal with group tensions to prevent occurrence of incidents and to ensure communal harmony in pockets where communal riots leading to loot and arson are cronic it has been in practice since long in this state whenever communal trouble is apprehended in any part of a District, immediately a Pease committee consisting of prominent public men is formed which give valuable contribution in preserving harmonious relations between different communities and in restoring normalcy. The subcommittee of the NIC has now given consideration to the manner in which these committees should be formed at District, Tashil and Block level and should be permanent bodies. They should not only be composed of representatives of different political parties but should have a wider cross section of the people from different walks of life who command the confidence of the community in general at the same time committee should not be unwisely. The district Magistrate should be co-coordinator or the secretary of the committee at the district level, although a barricade of flexibility would have tobe maintain in this regard depening on the special circumstances and need of each place.

In the industrial areas, tripartite committees consisting of representatives of the employees the employers and the public should be formed to create a climate of healthy relations among them locate and resolve causes of tension and generally to minimize occurrence of roots breaking out within or in the vicinity of industrial areas or township.

The committees at various levels should work continuously for communal harmony and would need to go into such fact or as are responsible for creating tension in the areas with which they are concerned. They could associate with their work with other voluntary organizations like the Gandhi Peace Foundation. These Committees could also help the District Administration in maintaining harmony between different castes and groups. In this context communal harmony should not be interpreted in any narrow sense of involving people of different religious only.

Accordingly the State Government have decided to constitute such committees at district and Subdivisional levels.

I am, there fore, to request you in regard to that names of journalists and other persons to be nominated in the committees at District and subdivisional level may please be sent to Government Immediately, taking into account all aspects of the recommendation made by the Sub committee in this regard.

Your Faithfully,
Sd/- S. D. Prasad
Under Secretary to Government
Patna, the 18th july,1970

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का विकास) रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन 3(f) के तहत समान अवसर कोषांग (Equal Opportunity Cell) की स्थापना तथा भेदभाव निरोधक पदाधिकारी (Anti Discrimination Officer) की नियुक्ति के संबंध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का विकास) रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन 3(f) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान अवसर कोषांग (Equal Opportunity Cell) तथा एक भेदभाव निरोधक पदाधिकारी (Anti Discrimination Officer) की नियुक्ति किया जाए तथा इसके लिए यू0 जी0 सी0 द्वारा अनुदान दिए जाने का व्यवस्था है। परन्तु इस राज्य के सभी विश्वविद्यालय में यह लागू नही हो सका है। आयोग ने अपने स्तर से कार्रवाई की है तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबैर ने इसे लागू कर दिया है। शेष में अभि तक यह लागू नही हो पाया है।

अतः सभी विश्वविद्यालय को इसे लागू करने का आदेश दिया जाए इससे SC/ST तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थी की समस्याओं का निराकरण में काफी मदद मिलेगी।

मुस्लिम स्कैवेंजरों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु

सफाई कर्मियों के पुनर्वास एवं कल्याण के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। जिसके कारण उन्हें उन योजनाओं का लाभ नही मिल रहा था। आयोग ने नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से पत्राचार किया तो उसने स्पष्ट किया की एनएसकेएफडीसी के द्वारा बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, को सभी पात्र लक्षित समूह को लाभांवित करने के लिए आदेश दिये गये है एनएसकेएफडीसी को योजनान्तर्गत लक्षित समूह के व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो, सभी को लाभांवित करना होता है।

राज्य में Mannual scavenger का सर्वेक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है तथा उनके पुनर्वास की योजनाएँ बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः उन दोनों को आदेश दिया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय के Mannual scavenger का भी सर्वेक्षण कराया जाए तथा उन योजनाओं से उन्हे भी लाभांवित कराया जाए।

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Under the Ministry of Social Justice & Empowerment)

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

एनएसकेएफडीसी / परियोजना / बिहार / 03 / 2014 | 2625

दिनांक 25.12.2014

सेवा में,
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
8—दक्षिण बेली रोड,
पटना—800 001
बिहार

विषय:— मुस्लिम स्कैवेंजरों के पुर्नवास एवं कल्याण हेतु।

महोदय,

कृपया अपने पत्र क्रमांक 1098 दिनांक 09.12.2014 का सदर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा हमें यह अवगत कराया है कि बिहार राज्य में मुस्लिम स्कैवेंजरों के पुर्नवास की योजना को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तिय निगम से कार्यान्वित करने हेतु अनुशंसा की गई थी।

इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि एनएसकेएफडीसी की ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका के अनुसार निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए है।

मैनुअल स्कैवेंजर का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय अधिकारी अथवा अभिकरण ठेकेदार द्वारा किसी अस्वच्छ शौचालय में अथवा किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालय से मानव मल निस्तारित किया जाता है अथवा रेलवे ट्रैक पर अथवा ऐसे स्थानों या परिसरों में, जैसाकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, मानव मल, उसके निर्धारित ढ़ग से अपघटित होने से पहले, मानवीय रूप से सफाई, वहन, निस्तारण अथवा अन्य किसी प्रकार से संचालन के लिए अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति है और "मैनुअल स्वच्छताकार्य" की अभिव्यक्ति तदनुसार समझी जायेगी।

(क) "अनुबंधित अथवा नियुक्त" का अभिप्राय नियमित या संविदा आधार पर अनुबंधित नियुक्त है।

(ख) मल की सफाई ऐसे उपकरणों की सहायता से करने हेतु अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित साधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति "मैनुअल स्वच्छताकर्मी" नहीं माना जायेगा।

सफाई कर्मचारी का तात्पर्य किसी सफाई कार्य के लिए अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति और उसके आश्रित जन से है।

1 वित्तिय सहायता के प्रयोजनार्थ सफाई कर्मचारियों अथवा स्वच्छताकर्मी के आश्रितों का अभिप्राय उसके परिवार का सदस्य है जो उस पर आश्रित है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा अधिक है तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयु सीमा 17 से 40 वर्ष तक है।

PrashantDesktop/Hindi Letter File

— 2 —

बी-2, भूतल एवं प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव भाग-II, (सावित्री सिनेमा के सामने) नई दिल्ली-110 048
B-2, Ground & First Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Opposite Savitri Cinema), New Delhi-110 048
Phone : 011-29221331, 29216330 Fax : 011-29222708
Email: nskfdc-msje@nic.in Website : http://www.nskfdc.nic.in

2 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नियत नहीं है। तथापि, अन्य बातें समान रहने पर, कंपनी निम्न के आर्थिक विकास तथा पुनरूत्थान को प्राथमिकता देगी।

i) स्वच्छकार और स्वच्छकारों में ऐसे स्वच्छकार जिनकी आय दोहरी गरीबी रेखा से नीचे है।
ii) लक्ष्य समूह से महिलाएं तथा
iii) लक्ष्य समूह से विकलांग व्यक्ति।

इस संबंध में आपको आगे अवगत कराना है कि एनएसकेएफडीसी के द्वारा बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, को सभी पात्र लक्षित समूह को लाभान्वित करने के लिये आदेश दिये गये हैं एनएसकेएफडीसी की योजनान्तर्गत लक्षित समूह के व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हों, सभी को लाभान्वित करना होता है।

धन्यवाद

भवदीय

(वी. के. परवदा)
उप महा प्रबंधक

प्रति संलग्नित

PrashantDesktop/Hindi Letter File

द्वितीय राजभाषा उर्दू के कार्यान्वयन तथा उत्थान के संबंध में

राज्य सरकार के राज़भाषा विभाग की संकल्प संख्या 661/रा० दिनांक 18.04.1981 के आलोक में द्वितीय राजभाषा उर्दू का निम्न प्रयोजन के लिए उपयोग होना है:–

प्रयोजनः–

1. उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उसका उत्तर।
2. उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।
3. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।
4. सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में जारी किया जाना।
5. महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
6. जिला गजट में उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।
7. महत्वपूर्ण संकेत/पट्ट का उर्दू में भी प्रदर्शन।

उपर्युक्त आदेश का दृढ़ता से पालन कराया जाए।

****